संख्या– 1548 /38–7–2008– एनआरईजीए/2008

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 04 जुलाई, 2008

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के उद्देश्य की पूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–291/38–7–08 दिनांकः 07–02–2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत सभी इच्छुक ग्रामीण परिवार के वयस्कों के लिए वर्ष में 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार दिये जाने का प्राविधान है। इस संबंध में मंत्रिमण्डलीय सचिव तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांकः 03–06–08 को सम्पन्न विकास प्राथमिकता कार्यक्रम एवं प्रशासनिक कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार के लक्ष्य के सापेक्ष औसत मानव दिवस काफी कम है। रोजगार की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया हैं।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारक परिवारों के रोजगार के औसत मानव दिवसों में वृद्धि पर बल दिया जाय, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक ग्राम में एक या दो कार्य निरंतर चलता रहे तथा जो परिवार कार्य पर आ रहे हैं उन्हें लगातार रोजगार मिलता रहे। जॉब कार्ड धारक के पास जॉब कार्ड उपलब्ध रहे तथा उसके द्वारा कार्य मांगे जाने पर निर्धारित समय के अंदर उसे कार्य अवश्य उपलब्ध कराते हुए मजदूरी का भुगतान समय से सुनिश्चित कराया जाय, ताकि प्रदेश के औसत रोजगार मानव दिवस में शत प्रतिशत वृद्धि हो सके तथा रोजगार के इच्छुक लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के साथ–साथ योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/38–7–2008 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।